

प्रेषक,

अवधेश कुमार मिश्रा,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,

नगर पंचायत बिसण्डा, बांदा।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 8 जून, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-68/न0पं0बिसण्डा/2018-19, दिनांक 13.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत नगर पंचायत बिसण्डा, बांदा को शासनादेश संख्या-33/2018-5113/नौ-5-2017-66बजट/2014 दिनांक 22.01.2018 द्वारा द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में रू0 17.21 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। निकाय द्वारा द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में दिनांक 22.01.2018 को अवमुक्त उक्त धनराशि रू0 17.21 लाख की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2019 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 17.21 लाख की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.12.2018 तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि इस अवधि में प्रत्येक दशा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कराकर धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुए प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद, शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि उपयोगिता अवधि बढ़ाने की स्थिति पुनः उत्पन्न न हो।

भवदीय,



(अवधेश कुमार मिश्रा)

अनु सचिव।

संख्या-1864 (1) /नौ-5-2018-66बजट/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उ. प्र. इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम/इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी, बांदा।
- 4- कोषाधिकारी, बांदा।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत बिसण्डा, बांदा।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1/2)
- 8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर मेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ. प्र. शासन।

आज्ञा से

(अवधेश कुमार मिश्रा)

अनु सचिव।